कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.
जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल–462003
दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : encph@nic.in, वेबसाईट : www.phed.mp.gov.in

क्रमांक 7820/प्र.अ./(पी.ए.)विधि/लो.स्वा.यां.वि./2025 भोपाल, दिनांक 22/9/25

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र इंदौर

विषयः– **रिव्यू पिटीशन कमांक 1654/2025 (म.प्र. शासन एवं अन्य बनाम गोंविद चौबे) में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2025 के उपरांत रिट अपील कमांक 1452/2025 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2025 के विरूद्ध पुनः नवीन रिव्यू पिटीशन दायर करने विषयक।**

संदर्भः– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड कमांक–2 इंदौर का पत्र कमांक 6740 दिनांक 11.09.2025

Speed Post

---0---

कृपया रिव्यू पिटीशन कमांक 1654/2025 (म.प्र.शासन एवं अन्य बनाम गोविंद चौबे) में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की सिंगल बेंच द्वारा, प्रकरण में पूर्व से ही रिट अपील खारिज हो जाने के कारण, रिव्यू पिटीशन खारिज करने संबंधी निर्णय पारित किया गया है।

इस संबंध में कार्यालय की विधि शाखा द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया है। यह पाया गया है कि विभाग द्वारा रिट अपील कमांक 1452/2025 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2025 के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन दायर की जानी थी किंतु रिव्यू पिटीशन कमांक 1654/2025 की प्रति के कवर पेज के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त रिव्यू पिटीशन, रिट याचिका कमांक 17082/2020 में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2024 एवं रिट अपील कमांक 1452/2025 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2025 यानि दोनों ही निर्णयों के विरूद्ध दायर की गई थी। इस त्रुटि की वजह से म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रजिस्ट्री द्वारा उक्त रिव्यू पिटीशन को रिट पिटिशन कमांक 17082/2020 में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2024 के विरूद्ध मान्य करते हुए, रिट पिटीशन में निर्णय पारित करने वाली बेंच के सामने सुनवाई हेतु रखा गया था। जहाँ इसे खारिज कर दिया गया है। अत्याधिक खेद का विषय है कि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड कमांक–2 इंदौर के संदर्भित पत्र द्वारा जो रिव्यू पिटीशन का ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु भेजा गया है, उसमें भी रिट याचिका कमांक 17082/2020 में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2024 के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन लगाये जाने का उल्लेख है। जबकि रिट अपील में निर्णय पारित हो जाने के उपरांत रिट याचिका में पारित निर्णय के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने का कोई औचित्य ही शेष नहीं रह जाता है।

कृपया ध्यान दें कि रिव्यू पिटीशन किसी भी एक निर्णय के विरूद्ध ही दायर की जा सकती है, चाहे वह रिट पिटीशन का निर्णय हो या रिट अपील का तथा रिव्यू पिटीशन को पूर्व निर्णय देने वाली बेंच (सिंगल या डबल जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा ही सुना जाता है।

कृपया भविष्य में ऐसे गलतियों से बचे तथा रिव्यू पिटीशन दायर करने के पहले इन तथ्यों का अनिवार्य रूप से परीक्षण कर लें।

वर्तमान में आपको निर्देशित किया जाता है कि रिट अपील कमांक 1452/2025 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2025 के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन कमांक 1654/2025 में शामिल तथ्यों के आधार पर ही पुनः रिव्यू पिटीशन अविलंब दायर कराने की कार्यवाही करें ताकि शासन हितों का संरक्षण संभव हो सकें।

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 7820/विधि पीए/प्र.अ./लोस्वायांवि./2025 भोपाल, दिनांक 22/9/25

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल इंदौर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संधारण खंड कमांक–2 इंदौर की ओर तत्काल नवीन रिव्यू पिटीशन दायर करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियंता

Letter 2025

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT INDORE

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE VIJAY KUMAR SHUKLA

ON THE 12th OF SEPTEMBER, 2025

REVIEW PETITION No. 1654 of 2025

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

Versus

GOVIND PRASAD CHOUBEY

Appearance:

Shri Shrey Raj Saxena Dy.AA for the petitioner/State.

ORDER

The present petition is filed seeking review of the order dated 26.11.2024 passed in W.P.No. 17082/2020.

Counsel for the petitioner submits that order passed by the writ court was challenged before the Division Bench in Writ Appeal and Writ Appeal has also been dismissed.

Considering the aforesaid submission, no case is made out for review. The review petition is dismissed.

(VIJAY KUMAR SHUKLA)
JUDGE

MK